



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्राकृत-अ)

GB 155718



सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव को प्रस्तावित किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्राकृत

हम जयपाल सिंह एवरसेत सिंह कमल अक्ल एवम जयजयश्रीबालाजीजनसेवा एवम शिक्षासमिति जेतापुर राजनपदकानपुर को द्वारा शपथपत्र कनिष्ठावत बंधान करते हैं-

- |   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| यह  | किह नारी सोसाइटी / ट्रस्ट  | द्वारा जयश्रीबालाजीजनसेवा |
| एवम शिक्षासमिति नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किये जाने पर स्तावित है। |  |                           |
| 2.  | यह किह नारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम जयश्रीबालाजीजनसेवा एवम शिक्षासमिति मेगाटा संख्या 127 व 128 एवरकबा 0.8150 हे० (कुल रकबा 0.8150 हेक्टयर) भूमि है।  |                           |
| 3.  | यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किरीमी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।   |                           |
| 4.  | यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 127 व 128 रकबा 0.8150 हे० (कुल रकबा 0.8150 हेक्टयर) पर उपरोक्त नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 13.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।  |                           |
| 5.  | यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संघटन हेतु मतनों का निर्माण अनुमोदित नवरी के अनुसार किया गया है।  |                           |
| 6.  | यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एव उस पर निर्मित एवम निर्धारित मतनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।   |                           |
| 7.  | यह कि इस भूमि एवम इस पर निर्मित मतनों पर फार्मैसी का उन्निस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।  |                           |
| 8.  | यह कि इस संस्थान फार्मैसी का उन्निस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवम प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवम प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जायेगा।   |                           |
| 9.  | यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित मतनों पर फार्मैसी का उन्निस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवम प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवम पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि संस्थान न तो पूर्णकर्मों के वाग्य है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा। |                           |
| 10.   | यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवम कर्मशाखाओं आदि को फार्मैसी का उन्निस्त ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवम प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।  |                           |
| 11.   | यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवम शैक्षिक स्टाफ को तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।   |                           |
| 12.   | यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का मतिभातिपालन करेगा। यदि वे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानक अनुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवम सम्बद्ध समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवम उसे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।   |                           |

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है।  
 यदि दी गयी जानकारी एकत्रित लेख / दस्तावेज फर्जी, कूट संचित अथवा भ्रुष्टिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिसर  
 द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

हो सचिव

*विना सिंह*

हो अध्यक्ष

*अमर सिंह*



Before me this day on  
*Jalpa* whom  
 contents of this affidavit have been  
 out & explained and who is duly  
 attested by Sr. *B...*  
 no. is personally known to me  
 received the fee of Rs. *10/-*

*AS*  
 AMAR SINGH  
 Advocate  
 Govt. Notary, Sikahdra  
 Kanour Dehat U.P.